भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4119

बुधवार, दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-एसजीएमबीवाई के अंतर्गत राजसहायता में वृद्धि

4119. श्री लालजी वर्मा: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह प्रमाणित करने के लिए कोई लेखा परीक्षा कराई है कि 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' (पीएम-एसजीएमबीवाई) केवल मध्यम वर्ग के गृह स्वामियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गरीब और किरायेदार परिवारों तक भी पहुंची है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उच्च प्रारंभिक निवेश (उपभोक्ता अंशदान) और जटिल बैंक ऋण प्रक्रियाओं को देखते हुए सब्सिडी राशि बढ़ाने या ब्याज मुक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सौर प्रणालियों (सोलर सिस्टम) के जीवन-चक्र रखरखाब (लाइफ-साइकिल मेंटेनेंस) और बैटरी बदलने के लिए कोई वित्तीय सुरक्षा तंत्र स्थापित किया गया है ताकि पच्चीस वर्षों के बाद उपभोक्ताओं पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त योजना वास्तविक बिजली मांग और खपत के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है या यह केवल तकनीकी लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई एक कवायद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) एक मांग-संचालित योजना है, जिसमें देश के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम के साथ ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल (www.pmsuryaghar.gov.in) पर आवेदन करके रूफटॉप सोलर (आरटीएस) सिस्टम की स्थापना के लिए योजना का लाभ उठा सकते हैं।

रूफटॉप सोलर सिस्टम की कम क्षमता की आवश्यकता वाले गरीब और कम आय वाले परिवारों द्वारा योजना को अपनाने की सुविधा के लिए, निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

i. आरटीएस क्षमता के पहले दो kWp के लिए बेंचमार्क लागत के 60% तक उच्च केंद्रीय वित्तीय सहायता।

ii. राष्ट्रीयकृत बैंकों से 10 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपये तक का संपार्श्विक-मुक्त (बिना गारंटी) ऋण, रेपो दर प्लस 50 बीपीएस (वर्तमान में 5.75% प्रति वर्ष) की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध है। इस ऋण के लिए जनसमर्थ पोर्टल के साथ एकीकृत योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।

iii. आवासीय उपभोक्ताओं के शुरुआती निवेश की आवश्यकता को कम करने के लिए RESCO/यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल शामिल किए गए।

(ग) RTS प्रणाली स्थापित करने वाले विक्रेता स्थापना के पहले पांच वर्षों तक प्रणाली के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार हैं और उसके बाद, उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार विस्तारित रखरखाव का विकल्प चुन सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रारंभिक निवेश का भुगतान पांच साल की अवधि के भीतर किया जाएगा और उसके बाद आरटीएस प्रणाली द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली अगले 20 वर्षों के लिए परिवार द्वारा बिजली पर खर्च को बचाएगी।

(घ) पीएम-सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना (PMSG: MBY) का मुख्य उद्देश्य देश में रूफटॉप सोलर (RTS) क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और परिवारों को स्वयं बिजली उत्पादन करने के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर (RTS) सिस्टम स्थापित करना है, जिससे आवासीय क्षेत्र में लगभग 30 GW RTS क्षमता जुड़ेगी। इससे बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को दिन के समय की चरम मांग को पूरा करने और वितरण घाटे को कम करने में लाभ होगा। यह वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 GW स्थापित क्षमता प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक होगा।
